क्रमांक 3221513/ई–प्रो/MIS/Part-I
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /02/2014

प्रति,

मुख्य अभियंता

1. महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर तथा नोडल अधिकारी ई.प्रो एवं आई.टी.।
2. महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
3. हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
4. मिनीमाता बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
5. हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर।

विषय :– **एकीकृत पंजीयन व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।**

संदर्भ :– प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिरपुर भवन, रायपुर, (छ.ग.) का ज्ञाप क्र. सामान्य/2013–14/42111/174 रायपुर, दिनांक 25.01.2014. (छायाप्रति संलग्न)

–––––00–––––

विषयांतर्गत, उपरोक्त संदर्भित पत्र, मय सहपत्रों, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन–नया रायपुर के आदेश क्र. एफ 21–8/टी/19/12/निविदा दिनांक 25.01.2014 द्वारा विभिन्न निर्माण विभागों हेतु ठेकेदारों के पंजीयन की विभागवार व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 27.01.2014 से एकीकृत पंजीयन व्यवस्था ई–रजिस्ट्रेशन लागू की गई है। नवीन व्यवस्था में, मुख्य बिन्दुओं के अनुसार दिनांक 27.01.2014 से विभागवार पंजीयन नहीं किया जाना है अपितु आवेदकों को एकीकृत पंजीयन व्यवस्था की जानकारी प्रदान की जानी है। सभी विभागों में पूर्व से पंजीकृत समस्त ठेकेदारों को 6 माह के भीतर नवीन पंजीयन व्यवस्था में शामिल किया जाना है। साथ ही 6 माह की अवधि तक सर्व संबंधित विभागों में ठेकेदारों के पूर्व में किये गये पंजीयन यथावत प्रभावशील रहेंगे।

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र एवं सहपत्रों में निहित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं इस नवीन प्रक्रिया से अपने अधिनस्थ समस्त मण्डल कार्यालयों, सम्भागीय कार्यालयों एवं सर्व संबंधितों को अवगत करावें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

सही –
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र. 3221513/ई–प्रो/MIS/Part-I/ 1663 दिनांक 06/02/2014

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में कृपया सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिरपुर भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता (मॉनिटरिंग), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
4. परियोजना निदेशक, सी.आई.डी.पी. स्टेट डाटा सेंटर, रायपुर।
5. संयुक्त संचालक (वित्त), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
6. अधीक्षण अभियंता (प्रशा), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
7. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, स्टेट डाटा सेंटर रायपुर की ओर विभागीय वेबसाईट में Contractor Registration हेतु दी गई लिंक के स्थान पर नवीन प्रक्रिया से संबंधित उपरोक्त संदर्भित पत्र एवं सहपत्रों की प्रति जारी करने बाबत् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. श्री जे.एन. विश्वकर्मा, सहायक अभियंता (ई.प्रो. सिस्टम), स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
9. श्री संजय गुप्ता, सहायक अभियंता (ई.प्रो. सिस्टम), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
10. सामान्य कक्ष क्र. 422, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को सूचनार्थ।

सहपत्र :– स.क्र. 3 से 10 को उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिरपुर भवन, रायपुर (छ0ग0)

ज्ञाप क्र. सामान्य / 2013–14 / 42 / 11174 रायपुर, दिनांक 25 / 01 / 2014

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
   जल संसाधन विभाग, रायपुर
2. प्रमुख अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर
3. आयुक्त,
   छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल,
   रायपुर (छ.ग.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   नया रायपुर डव्लपमेंट अथॉरिटी,
   रायपुर (छ.ग.)
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   छत्तीसढ़ ग्रामीण विकास अधिकरण,
   रायपुर (छ.ग.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   छत्तीसढ़ विकास प्राधिकरण,
   रायपुर (छ.ग.)
7. मुख्य अभियंता,
   ग्रामीण यॉत्रिकी सेवा विभाग,
   रायपुर (छ.ग.)

विषय :– एकीकृत पंजीयन व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ :– छ.ग. शासन, लो.नि.वि. मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 21–8 / टी / 19 / 12 / निविदा, दिनांक 25 / 01 / 2014 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 25.01.2014

——000——

संदर्भित आदेशों की छायाप्रति संलग्न है, जिसके द्वारा विभिन्न निर्माण विभागों तथा निगम मंडलों में प्रचलित पंजीयन व्यवस्था को समाप्त कर दिनांक 27 / 01 / 2014 से एकीकृत पंजीयन व्यवस्था लागू की गई है। नवीन व्यवस्था के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार है :–

01. दिनांक 27 / 01 / 2014 से नवीन पंजीयन न किया जाये अपितु संबंधित आवेदकों को एकीकृत पंजीयन व्यवस्था की जानकारी प्रदाय की जावे ।

0 1 FEB 2014

02. सभी विभागों में पूर्व से पंजीकृत समस्त ठेकेदारों को 6 माह के भीतर नवीन पंजीयन व्यवस्था में शामिल किया जाना है।

03. 6 माह की अवधि तक सर्व संबंधित विभागों में ठेकेदारों के पूर्व में किये गये पंजीयन यथावत प्रभावशील रहेंगे।

04. नवीन व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग के सभी संभागीय कार्यालय **सुविधा केन्द्र (Facility Centre)** बनाये गये हैं। नवीन पंजीयन व्यवस्था में आने वाले ठेकेदार अपने पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कराकर उपरोक्तानुसार किसी भी **सुविधा केन्द्र** में ऑनलाईन अपलोड करा सकेंगे। **सुविधा केन्द्र** उन दस्तावेजों की मूल प्रति एवं आनलाईन अपलोड दस्तावेजों के प्रिंटआउट (ठेकेदार के हस्ताक्षरयुक्त) को कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को अविलंब प्रेषित करेंगे।

05. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के पंजीयन प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यवाही की जाकर ठेकेदारों की पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।

अतः अनुरोध है कि इस नवीन प्रक्रिया से सर्व संबंधितों को अवगत कराते हुए व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था करने का कष्ट करें ।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
रायपुर (छत्तीसगढ़)

पृ.क्र. सामान्य/2013–14/42111 रायपुर, दिनांक 25/01/2014

प्रतिलिपिः–

01. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लो.नि.वि. महानदी भवन, नया रायपुर
02. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/वित्त/जल संसाधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
03. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, लो.नि.वि./लो.स्वा.यां. विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग/ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
04. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि.....परिक्षेत्र..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि.....मंडल..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि.....संभाग..... की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
रायपुर (छत्तीसगढ़)

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिरपुर भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

ज्ञाप क्रमांक/प्र.अ./4211 /सा/13 रायपुर, दिनांक 25 /01/2014

प्रति,

समस्त कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
..... संभाग .....

विषय : एकीकृत पंजीयन व्यवस्था लागू करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ : छ.ग. शासन, लो.नि.वि. मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 21-8/टी/19/12/निविदा, दिनांक 25/01/2014 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 25.01.2014

-------- 00 --------

छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक 21-8/टी/19/12/निविदा, दिनांक 25/01/2014 21 द्वारा प्रदेश में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था (Unified registration System) लागू की जा चुकी है। समसंख्यक पत्र दिनांक 25.01.2014 द्वारा एकीकृत पंजीयन की कार्यवाही के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए है। जारी किए गए निर्देश के बिन्दु क्रमांक 10 में समस्त संभागीय कार्यालयों को सुविधा केन्द्र (**Facility centre**) के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। जिसके अनुक्रम में समस्त संभागीय कार्यालयों के स्तर पर दस्तावेजों के संकलन अपलोड एवं प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रेषण के संबंध में की जाने वाली निम्नानुसार परीक्षण/कार्यवाही अत्यंत गंभीरता से की जानी है :-

(1) **ठेकेदारों के दस्तावेजों का पंजीयन की श्रेणी की आवश्यकता** -

एकीकृत पंजीयन व्यवस्था में ठेकेदारों को कार्यक्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है यथा,- "अ", "ब", "स", एवं "द"।

(i) "द" श्रेणी के ठेकेदार को पंजीकृत होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ लोक निर्माण विभाग के किसी भी संभागीय/उपसंभागीय

कार्यालय द्वारा जारी 5000/- की पंजीयन शुल्क की रसीद (Money Receipt, वापसी योग्य नहीं), आवेदक के पेन नम्बर, वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा जारी टिन नम्बर, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं पंजीयन के अनुमोदन उपरांत सुरक्षा निधि के रूप में पंजीकरण अधिकारी प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के नाम पर 1.00 लाख का एफ.डी.आर.।

(ii) "स" **श्रेणी** के ठेकेदार को पंजीकृत होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ लोक निर्माण विभाग के किसी भी संभागीय/उपसंभागीय कार्यालय द्वारा जारी 10000/- की पंजीयन शुल्क (वापसी योग्य नहीं)की रसीद (Money Receipt), पूर्व पंजीयन की प्रति, विगत 5 वर्षों में से किन्ही 3 वर्षों में 1 करोड़ का कार्यानुभव (सिविल/वि./याँ.) जो कि कम से कम कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, आवेदक के पेन नम्बर, वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा जारी टिन नम्बर, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं पंजीयन के अनुमोदन उपरांत सुरक्षा निधि के रूप में पंजीकरण अधिकारी प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के नाम पर 2.00 लाख का एफ.डी.आर.।

(iii) "ब" **श्रेणी** के ठेकेदार को पंजीकृत होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ लोक निर्माण विभाग के किसी भी संभागीय/उपसंभागीय कार्यालय द्वारा जारी 20000/- की पंजीयन शुल्क (वापसी योग्य नहीं)की रसीद (Money Receipt), पूर्व पंजीयन की प्रति, विगत 5 वर्षों में से किन्ही 3 वर्षों में 4 करोड़ का कार्यानुभव (सिविल/वि./याँ.) जो कि कम से कम कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, आवेदक के पेन नम्बर, वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा जारी टिन नम्बर, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं पंजीयन के अनुमोदन उपरांत सुरक्षा निधि के रूप में पंजीकरण अधिकारी प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के नाम पर 5.00 लाख का एफ.डी.आर.।

(iv) "अ" **श्रेणी** के ठेकेदार को पंजीकृत होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ लोक निर्माण विभाग के किसी भी संभागीय/उपसंभागीय

कार्यालय द्वारा जारी 50000/- की पंजीयन शुल्क (वापसी योग्य नहीं) की रसीद (Money Receipt), पूर्व पंजीयन की प्रति, विगत 5 वर्षों में से किन्ही 3 वर्षों में 10 करोड़ का कार्यानुभव (सिविल/वि./याँ.) जो कि कम से कम कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, आवेदक के पेन नम्बर, वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा जारी टिन नम्बर, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं पंजीयन के अनुमोदन उपरांत सुरक्षा निधि के रूप में पंजीकरण अधिकारी प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के नाम पर 10.00 लाख का एफ.डी.आर.।

(v) विद्युतीकरण श्रेणी में पंजीयन हेतु ठेकेदार को उपरोक्त के अलावा उपयुक्त श्रेणी का विद्युत निरीक्षक छत्तीसगढ़ शासन, (छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मण्डल विद्युत विनियम 1960) द्वारा जारी विद्युत ठेकेदारी लायसेंस जमा करना आवश्यक है।

उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा यदि पंजीयन किसी फर्म या कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, तो -

A) **फर्म के लिए** - निम्न दस्तावेज भी आवश्यक है -

(i) आवेदित फर्म का रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी वैद्य पंजीयन की अभिप्रमाणित प्रति।
(ii) नवीनतम डीड आफ पार्टनरशिप की अभिप्रमाणित प्रति।
(iii) यदि मूल डीड आफ पार्टनरशिप में कोई परिवर्तन किया गया है, तो उसकी सूचना रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी को दिये जाने एवं रजिस्ट्रार द्वारा उसे स्वीकृत किये जाने की अभिप्रमाणित प्रति।
(iv) सभी भागीदारों के पेन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति।
(v) सभी भागीदारों के अभिप्रमाणित फोटोग्राफ।
(vi) रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने हेतु अधिकृत भागीदार/व्यक्ति का बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ।
(vi) रजिस्ट्रेशन हेतु भागीदारों के अलावा अन्य अधिकृत व्यक्ति होने की स्थिति में पॉवर आफ अटार्नी।

B) कंपनी के लिए - निम्न दस्तावेज भी आवश्यक है -

(i) रजिस्ट्रार आफ कंपनी के द्वारा जारी कंपनी के पंजीयन की अभिप्रमाणित प्रति।
(ii) मेमोरेन्डम आफ आर्टिकल की अभिप्रमाणित प्रति।
(iii) सभी डायरेक्टरों के नियुक्ति के संबंध में फार्म 32 की अभिप्रमाणित प्रतियां।
(iv) सभी डायरेक्टरों के अभिप्रमाणित पेन कार्ड की प्रति।
(v) सभी डायरेक्टरों के अभिप्रमाणित फोटोग्राफ।
(vi) रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने हेतु अधिकृत डायरेक्टर/व्यक्ति का बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ।
(vii) रजिस्ट्रेशन हेतु डायरेक्टरों के अलावा अन्य अधिकृत व्यक्ति होने की स्थिति में पॉवर आफ अटार्नी एवं बोर्ड आफ डायरेक्टर के रिजाल्यूशन की प्रति।

2 ठेकेदारों के अनुभव के विवरण का विवरण -

(i) ठेकेदार यदि व्यक्तिगत स्वरूप (Individual)/प्रोपराइटरी फर्म है तो उनके द्वारा प्रस्तुत पूरे अनुभव को मान्य किया जाना है।
(ii) यदि फर्म का कोई भागीदार पृथक से पंजीकृत होना चाहता है, तो उनका अनुभव उस फर्म में उनकी भागीदारी के प्रतिशत के अनुसार गणना कर मान्य किया जावेगा।
(iii) यदि किसी कंपनी का डायरेक्टर कंपनी से पृथक अन्य कोई पंजीयन हेतु आवेदन करता है, तो उसका अनुभव कंपनी में उनके शेयर प्रतिशत के अनुसार अनुभव की गणना कर पंजीयन हेतु मान्य किया जावेगा।

3 ठेकेदारों के दस्तावेजों को ऑन लाईन अपलोड किया जाना -

(i) ठेकेदारों के दस्तावेजों को ऑन लाईन अपलोड करने के लिए प्रत्येक सुविधा केन्द्र को एक यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रदाय किया जायेगा। प्रत्येक कार्यपालन अभियंता इसे सर्वर रूम से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
(ii) ठेकेदार को सर्व प्रथम **प्रदेश के किसी भी सुविधा केन्द्र** में पंजीयन की श्रेणी के अनुरूप लोक निर्माण विभाग के किसी भी संभागीय/उपसंभागीय

कार्यालय में पंजीयन शुल्क जमा कर रसीद (Money Receipt) प्राप्त करना होगा।

(iii) ठेकेदार द्वारा पंजीयन शुल्क की रसीद (Money Receipt) इसके लिए सुविधा केन्द्र में प्रस्तुत करने पर आवेदन फार्म निशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। इसके लिए सुविधा केन्द्र के कार्यपालन अभियंता अपने कार्यालयों में पूर्व से ही फार्म की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(iv) आवेदक के द्वारा उनके आवेदन में अंकित पंजीयन की श्रेणी के अनुसार दस्तावेजों की स्केन कॉपी सी.डी./पेन ड्राइव में सुविधा केन्द्र में लाना होगा।

(v) ऑन लाईन आवेदन के लिए सर्वप्रथम ठेकेदार को प्राथमिक पंजीयन कराना होगा। एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के ऑन लाईन प्रोग्राम में इसकी व्यवस्था है कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत रसीद (Money Receipt) का क्रमांक एवं दिनांक सही पाये जाने पर जिस नाम से वे पंजीकृत होना चाहते है, उसका नाम एवं पता अंकित करने पर ठेकेदार को ऑन लाईन जनरेटेड यूजर आईडी तथा पासवर्ड उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल एड्रेस में प्राप्त हो जायेगा।

(vi) तत्पश्चात् क्रमशः व्यक्तिगत/फर्म/कंपनी (जैसी भी स्थिति हो) को बैंक विवरण, पेन नम्बर, टिन नम्बर, वैट रजिस्ट्रेशन, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, पार्टनर का विवरण, डायरेक्टरों का विवरण, चल रहे कार्यों, पूर्ण किये गये कार्यों, पूर्व में दण्ड सहित अधूरे छोड़े गये कार्यों की सूची, पूर्व में किसी विभाग के द्वारा दण्डित किये जाने का विवरण, माध्यस्थम अभिकरण में चल रहे प्रकरणों का विवरण, शासकीय देयताओं का विवरण इत्यादि जानकारी अपलोड करना होगा। सभी जानकारी प्रोग्राम में भरे जाने के पश्चात् अंत में आवेदन का ऑन लाईन सबमिशन किया जाना होगा।

(vii) ऑन लाईन प्रोग्राम में अनुभव का विवरण कम से कम उतना अंकित किया जाये जितना पंजीयन की श्रेणी हेतु आवश्यक है। शेष अनुभव दर्ज किया जाना ठेकेदार के विकल्प पर है।

(viii) अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में कम से कम कार्यपालन अभियंता के स्तर के अधिकारी से जारी (जिसमें दिनांक अवश्य अंकित हो) होना आवश्यक है।

(ix) उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ऑन लाईन जमा दस्तावेजों के प्रिन्ट आउट लेकर ठेकेदार के हस्ताक्षर प्राप्त किये जाये। नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेज एवं अपलोड किये अभिलेखों के कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट को प्रमुख अभियंता कार्यालय को अविलंब प्रेषित किया जाये। ठेकेदार के दस्तावेज यदि विलंब से प्रेषित किये जाते है तो संबंधित सुविधा केन्द्र के कार्यपालन अभियंता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(x) दस्तावेजों को प्रेषित करते समय दस्तावेज, आवेदन में अंकित क्रम में होना आवश्यक हो।

(xi) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज नोटराइज्ड होने आवश्यक है। दस्तावेज ऑन लाईन अपलोड करने से पूर्व सुविधा केन्द्र प्रभारी इसकी सूक्ष्मता से जांच करेंगे।

(xii) प्रमुख अभियंता कार्यालय में आवेदन की हार्ड कापी प्राप्त होने के उपरांत परीक्षण कर पंजीयन की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(xiii) अनुमोदन की स्थिति में संबंधित आवेदक को ई-मेल तथा एस.एम.एस के माध्यम से आवश्यक राशि के एफ.डी.आर. जमा करने की कम्प्यूटर जनित सूचना प्राप्त होगी। तद्नुसार ठेकेदार को आवश्यक राशि का एफ.डी.आर. सुविधा केन्द्र/प्रमुख अभियंता कार्यालय में जमा करना होगा। सुविधा केन्द्र में एफ.डी.आर. जमा करने की स्थिति में सुविधा केन्द्र प्रभारी एफ.डी. आर. की स्केन कापी अपलोड कर मलू एफ.डी.आर. अविलंब प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित करेंगे। मूल एफ.डी.आर. प्राप्त होने के उपरांत ही आवेदक को अंतिम रूप से पंजीकृत किया जावेगा। पंजीकृत होने की सूचना एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ उन्हें ई-मेल तथा एस.एम.एस के माध्यम से प्राप्त होगी। अपने यूनिक रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर वे ऑन लाईन प्रोग्राम से अपना पंजीयन प्रमाण पत्र का प्रिन्ट आउट ले सकेंगे। चूंकि सर्टिफिकेट ऑन लाईन जनरेटेड रहेगा, अतः इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

(xiv) पंजीयन हेतु दस्तावेज में कमी होने की स्थिति में इसकी सूचना संबंधित आवेदक कों ई-मेल तथा एस.एम.एस के माध्यम से दी जायेगी। जिसका निराकरण कर उन्हें आवश्यक दस्तावेज/जानकारी संबंधित सुविधा केन्द्र में पुनः जमा करना होगा। सुविधा केन्द्र उस दस्तावेज को पुनः अपलोड करेंगे।

4 सुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी का दायित्व - एकीकृत पंजीयन व्यवस्था में सुविधा केन्द्र का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सुविधा केन्द्रों के कार्यपालन अभियंता को अविलंब एक ई-पंजीयन सेल का गठन करने का निर्देश पूर्व से ही दिये जा चुके है, जिसमें एक पृथक कम्प्यूटर सेट, प्रिन्टर, स्केनर की व्यवस्था कर लेने के निर्देश है। कार्यालय के सूचना पटल पर एकीकृत पंजीयन व्यवस्था हेतु अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम प्रदर्शित किया जाये।

उपरोक्तानुसार निर्देश एवं शासन के द्वारा पत्र क्रमांक 21-8/टी/19/12/निविदा, दिनांक 25/01/2014 के द्वारा जारी निर्देश में कोई विरोधाभास प्रतीत होता है तो अविलंब इसकी सूचना प्रमुख अभियंता कार्यालय को दी जाये।

सभी सुविधा केन्द्र उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
रायपुर (छत्तीसगढ़)

पृष्ठांकन क्रमांक/प्र.अ./4211 /सा/13 रायपुर, दिनांक 25 /01/2014

प्रतिलिपि :

1/ प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

2/ सर्व संबंधित विभाग प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3/ समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ..... परिक्षेत्र .....

4/ समस्त अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग ..... मण्डल .....

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
रायपुर (छत्तीसगढ़)

Mar 10 2013 2:37AM BSNL 7712510741 P.1

छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन–नया रायपुर

—:: आदेश ::—

नया रायपुर दिनांक 25/01/2014

क्रमांक एफ 21-8/टी/19/12/निविदा, छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त निर्माण विभागों हेतु ठेकेदारों के पंजीयन की विभागवार व्यवस्था के स्थान पर एकीकृत पंजीयन व्यवस्था ई-रजिस्ट्रेशन लागू करने के लिये कार्यविभाग नियमावली 1983 भाग-1 के चेप्टर-II सेक्शन-16 (कंडिका 2.095 से 2.102) में संशोधन करने का प्रस्ताव मंत्रि परिषद् द्वारा दिनांक 12.09.2013 को अनुमोदित कर दिया गया है ।

इस संबंध में प्रदेश में ठेकेदारों के ई-रजिस्ट्रेशन हेतु एकीकृत पंजीयन व्यवस्था दिनांक 27 जनवरी, 2014 से लागू की जाती है ।

एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के अंतर्गत ठेकेदारों के ई-रजिस्ट्रेशन हेतु प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर, (छत्तीसगढ़) पंजीकरण प्राधिकारी होगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
25/1/14
(जे.एम.लुलु)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग 25/1/14

पृ.क्रमांक एफ 21-8/टी/19/12/निविदा, नया रायपुर दिनांक 25/1/2014

प्रतिलिपि :-

1/ निज सचिव, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

2/ अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

3/ अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ...(समस्त विभाग) की ओर सूचनार्थ ।

4/ समस्त प्रमुख अभियंता(निर्माण विभाग), छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।

5/ समस्त मुख्य अभियंता(निर्माण विभाग), छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।

6/ समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।

25/1/14
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग 25/1/14

 E mail ID, usi_pwd@yahoo.in Ph.No. 0771-2510741 & Fax 2510741

छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन–नया रायपुर

क्रमांक एफ 21-8/टी/12/19/निविदा, नया रायपुर दिनांक 25/01/14

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर(छ.ग.)

विषय :- **राज्य में समस्त निर्माण विभागों हेतु ठेकेदारों के पंजीयन एवं कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से पंजीयन प्रणाली में युक्तियुक्त सुधार बाबत्(ठेकेदारों का यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर के संबंध में ।)**

संदर्भ :- (1)आपका ज्ञाप क्रमांक प्र.अ./42111171/सा./13 रायपुर दि. 23.01.14
(2)शासन का आदेश क्रमांक एफ-21-8/टी/19/12/निविदा, नया रायपुर दिनांक 25.01.14

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत शासन के संदर्भित पत्र संदर्भ क्रमांक 2 का अवलोकन हो । जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों के ठेकेदारों का ई-रजिस्ट्रेशन दिनांक 27.1.2014 से लागू किया गया है ।

दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को आयोजित मंत्रि परिषद् की बैठक में प्रदेश में ठेकेदारों के ई-रजिस्ट्रेशन हेतु एकीकृत पंजीयन व्यवस्था लागू करने के लिये अनुमोदन प्राप्त है ।

उपरोक्त अनुमोदन के तारतम्य में प्रदेश में ठेकेदारों के एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के लिये प्रारुप जो संदर्भ क्रमांक 1 से प्राप्त है । आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

सहपत्र :–उपरोक्तानुसार ।

25/1/14
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 21-8/टी/12/19/निविदा, नया रायपुर दिनांक /01/14

प्रतिलिपि :-

निज सचिव, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

सहपत्र :–उपरोक्तानुसार ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग

E mail ID. ust_pwd@yahoo.in Ph.No. 0771-2510741 & Fax 2510741

एकीकृत पंजीयन व्यवस्था – ई-रजिस्ट्रेशन

[UNIFIED REGISTRATION SYSTEM – E-REGISTRATION]

विभिन्न कार्य विभागों में वर्तमान में प्रचलित पंजीयन की पृथक–पृथक व्यवस्थाओं को समाप्त करते हुए पंजीयन की नवीन व्यवस्था एकीकृत पंजीयन व्यवस्था दिनांक 2.7.1.14 से लागू की जाती है, जिसे "एकीकृत पंजीयन व्यवस्था – ई-रजिस्ट्रेशन" [Unified Registration System – E-Registration] के नाम से जाना जावेगा । नवीन व्यवस्था निम्नानुसार होगी :–

बिन्दु क्रमांक–1 पंजीयन की श्रेणी

1- श्रेणी–अ – असीमित राशि तक के निर्माण कार्यों के लिए ।
2. श्रेणी–ब – रूपये 10 करोड़ तक के निर्माण कार्यों के लिए ।
3. श्रेणी–स – रूपये 2 करोड़ तक के निर्माण कार्यों के लिए ।
4. श्रेणी–द – रूपये 1 करोड़ तक के निर्माण कार्यों के लिए ।

बिन्दु क्रमांक–2 परिभाषाएँ

1. पंजीकरण कार्यालय : प्रमुख अभियंता, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग
2. पंजीकरण प्राधिकारी : प्रमुख अभियंता, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग
3. अपीलीय प्राधिकारी : तीन सदस्यीय बोर्ड
   1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
   2. संबंधित विभाग के संस्था प्रमुख (सदस्य सचिव)
   3. संचालक वित्त, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
4. पेन (PAN) नंबर : स्थायी लेखा रूख्या
5. टिन (TIN) नम्बर : वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पंजीकृत संख्या
6. ठेकेदार : व्यक्ति, प्रोप्राईटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, पंजीकृत कंपनी, पंजीकृत ऐसासिएशन ऑफ परसन्स तथा राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन का उपक्रम होगा ।

बिन्दु क्रमांक–3 निर्माण विभाग में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीन पंजीयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट–1 एवं पूर्व से अन्य विभागों में पंजीयन फर्म/ठेकेदारों के व्यवस्थापन, वर्गोन्नति एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–2 में संलग्न है ।

बिन्दु क्रमांक–4 पंजीयन शुल्क

4.1 पंजीयन की श्रेणी अनुसार पंजीयन शुल्क निम्नानुसार होगी :–

1. 'अ' श्रेणी – रूपये 50,000
2. 'ब' श्रेणी – रूपये 20,000
3. 'स' श्रेणी – रूपये 10,000
4. 'द' श्रेणी – रूपये 5,000

पंजीयन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगी ।

4.2 सुरक्षा निधि :–

पंजीयन की श्रेणी अनुसार ठेकेदारों द्वारा निम्न तालिका अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंकों द्वारा जारी फिक्स डिपॉजिट की राशि (पांच वर्षों के लिए जो कि पंजीकरण प्राधिकारी के पदनाम पर देय हो) ही पंजीयन हेतु मान्य होगी ।

स.क्र.	ठेकेदार की श्रेणी	सुरक्षा राशि (रूपये लाख में)
1	अ	10.00 (दस लाख)
2	ब	5.00 (पाँच लाख)
3	स	2.00 (दो लाख)
4	द	1.00 (एक लाख)

बिन्दु क्रमाँक–5 पंजीयन हेतु आवश्यक अर्हताएँ

5.1 'द' श्रेणी हेतु :– 'द' श्रेणी में पंजीयन हेतु पूर्व अनुभव तथा कार्य निष्पादन की क्षमता की कोई शर्त लागू नहीं रहेगी, अपितु ठेकेदार/फर्म से निम्न जानकारी प्राप्त की जाना आवश्यक होगी :

(क) ठेकेदार का पेन/TAN नंबर : PAN/TAN की प्रमाणित प्रति के साथ

(ख) टिन नंबर : TIN की प्रमाणित प्रति के साथ

(ग) शपथ पत्र :– न्यूनतम 5/– रू. के गैर न्यायिक स्टाम्प में संलग्न परिशिष्ट–3 अनुसार शपथ पत्र ठेकेदारों के द्वारा दिया जावेगा ।

5.2 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी हेतु :–

'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीयन हेतु उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 5.1 की उपकंडिका क, ख तथा ग में वर्णित आवश्कताओं के अतिरिक्त निम्नानुसार जानकारी भी दिया जाना अनिवार्य होगा :–

अनुभव :– विभिन्न श्रेणियों में पंजीयन हेतु निम्नानुसार अनुभव अपेक्षित है :–

स. क्र.	श्रेणी	कार्य करने की क्षमता	नया पंजीयन/उन्नयन हेतु गत 5 वर्षों में से किन्ही 3 वर्षों में अनुभव
1	2	3	4
1	अ	असीमित	रू. 10 करोड़
2	ब	रू. 10 करोड़ तक	रू. 4 करोड़
3	स	रू. 2 करोड़ तक	रू. 1 करोड़

उपरोक्त श्रेणी में पंजीयन/उन्नयन के लिये निम्न शर्तों का पालन करना होगा :–

5.2.1 कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (संलग्न एनेक्सर 1 एवं 2 में यथा आवश्यक) कार्यपालन अभियंता या इनके समकक्ष अधिकारी के द्वारा दिया गया हो, ही मान्य होंगे ।

5.2.2 फर्म/ठेकेदार जो कि प्रदेश के बाहर केन्द्रीय/राज्य सरकार अथवा उनके उपक्रम या अर्द्धशासकीय संस्थानों में पंजीकृत है, के पास तालिकानुसार संपादित कार्यों का अनुभव (संलग्न एनेक्सर 1, 2, 3 में यथा आवश्यक) होने पर उन्हें सीधे पंजीयन की पात्रता होगी ।

5.2.3 फर्म का यदि कोई भागीदार, फर्म से पृथक होकर या कोई अलग नाम से पंजीकृत होना चाहता है तो उसका कार्य अनुभव उसकी पंजीकृत फर्म में उसके भागीदारी के प्रतिशत के अनुरूप मान्य होगा ।

5.2.4 प्राईवेट ठेकेदार/फर्म द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र पंजीयन हेतु मान्य नहीं होगा ।

5.2.5 पॉवर आफ अटार्नी पर संपादित किये गये कार्य/सब कांट्रेक्ट के रूप में किये गये कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्र को नहीं माना जावेगा, परंतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से सबलेट किये गये कार्य के अनुभव को मान्य किया जावेगा ।

5.2.6 उच्च श्रेणी में पंजीयन उपरान्त संबंधित ठेकेदार का निम्न श्रेणी में पंजीयन स्वतः समाप्त माना जायेगा ।

5.3 पंजीयन की अवधि 5 वर्ष होगी । पंजीयन का नवीनीकरण, पंजीयन अवधि समाप्त होने के तीन माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर किया जावेगा बशर्ते पंजीकृत ठेकेदार द्वारा विगत दो वर्षो में किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लिया हो तथा विगत पांच वर्षों में कोई एक ठेका प्राप्त कर लिया हो ।

5.4 संबंधित ठेकेदार का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित किसी भी बैंक में चालू/बचत खाता होना आवश्यक है। आवेदन के साथ संबंधित बैंक से दो फोटो तथा हस्ताक्षर प्रमाणित कर पंजीयन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5.5 संबंधित ठेकेदार को आवेदन पत्र के साथ :–

(i) फर्म होने की दशा में "पंजीयक फर्म एवं सोसायटी" का पंजीयन प्रमाण पत्र तथा भागीदारी अभिलेख एवं

(ii) कंपनी होने की दशा में कंपनी का पंजीयन तथा मेमोरेण्डम आफ आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन एवं पिछले 3 वर्ष का प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट तथा बैलेंस शीट दस्तावेज की नोटरी से सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा ।

5.6 एक ठेकेदार का एक ही पंजीयन किया जावेगा ।

5.7 यदि किसी विभाग में किसी कार्य विशेष के संपादन के लिए विशिष्ट प्रकृति का अनुभव यथेष्ट होता हो तो उसकी जानकारी आवेदन पत्र में दिया जाना आवश्यक होगा । (एनेक्सार–2)

बिन्दु क्रमांक–6 निर्माण कार्य विभागों में पूर्व से ही पंजीकृत फर्म/ठेकेदार का नवीन एकीकृत, पंजीयन व्यवस्था में व्यवस्थापन ।

6.1 निर्माण कार्य विभागों, अन्य शासकीय विभागों/अर्द्धशासकीय विभागों/निगम एवं बोर्ड में पूर्व से पंजीकृत ठेकेदारों को नवीन एकीकृत, पंजीयन व्यवस्था में व्यवस्थापन हेतु इस व्यवस्था के लागू होने के दिनांक से छः माह का समय प्रदान किया जावेगा, ताकि वे इस एकीकृत व्यवस्था में सम्मिलित हो सकें ।

6.2 छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कार्य विभागों, अन्य शासकीय विभागों/अर्द्धशासकीय विभागों/निगम एवं बोर्ड में पूर्व से पंजीकृत ठेकेदार उक्त एकीकृत पंजीयन व्यवस्था होने तक अपने वर्तमान पंजीयन के साथ संबंधित विभाग में यथावत कार्य करते रहेंगे ।

6.3 इस व्यवस्था के लागू होने के दिनांक से अन्य किसी भी विभाग द्वारा कोई नया पंजीयन अथवा वर्तमान पंजीयन का नवीनीकरण नहीं किया जावेगा ।

बिन्दु क्रमांक–7:–ठेकेदार का निचली श्रेणी में अवनत, पंजीयन का निलंबन, पंजीयन को रद्द करने एवं ठेकेदार का काली सूची में नाम डालने बाबत् ।

7.1 ठेकेदारों को निचली श्रेणी में अवनत, पंजीयन को रद्द करने एवं ठेकेदारों का काली सूची में नाम दर्ज करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 5–8/19/2013/निविदा दिनांक 05/08/2013 में वर्णित प्रावधान लागू होंगे ।

7.2 उपरोक्त कार्यवाही संबंधित विभाग के संस्था प्रमुख के द्वारा की जावेगी एवं की गई कार्यवाही की सूचना प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को 03 दिवस में दी जावेगी । सूचना प्राप्त होने के उपरान्त औपचारिक कार्यवाही प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा की जावेगी ।

7.3 फर्म/ठेकेदारों को अपील प्रस्तुत करने का समय 30 दिवस दिया जावेगा। यह अपील संबंधित ठेकेदार द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी ।

7.4 अपील पर अनुशंसा सहित अभिमत संबंधित विभाग के संस्था प्रमुख द्वारा 30 दिन के अंदर अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा ।

7.5 अपील पर आवेदनकर्ता को सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलीय प्राधिकार द्वारा 60 दिवस के अंदर निर्णय किया जावेगा तथा इस प्रकार किये गए निर्णय की सूचना नोडल अधिकारी (प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग) को 03 दिवस के अंदर दी जावेगी ।

7.6 ठेकेदार के अपील पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा औपचारिक कार्यवाही की जावेगी ।

बिन्दु क्रमांक–8

ई–पंजीयन की व्यवस्था तीन माह के अंदर सभी कार्य विभाग/निगम/मंडल/बोर्ड में लागू की जायेगी ।

बिन्दु क्रमांक–9

ई–पंजीयन की व्यवस्था में शामिल सभी फर्म/ठेकेदार को यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया जावेगा ।

बिन्दु क्रमांक–10

फेसिलीटेशन सेन्टर–प्रत्येक जिले के सभी लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता, कार्यालय ई–रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही के लिए फेसिलीटेशन सेन्टर के रूप में कार्य करेंगे ।

बिन्दु क्रमांक–11

राज्य में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था (ई रजिस्ट्रेशन) लागू करने के लिए कार्य विभाग नियमावली 1983 Volume-I के चेप्टर 2 सेक्शन 16 (कंडिका 2.095 से 2.102) में विधि विभाग से परामर्श उपरान्त आवश्यक संशोधन करने हेतु नोडल विभाग (लोक निर्माण विभाग) को पृथक से कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक–12

आवश्यक होने पर लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंताओं की समिति की अनुशंसानुसार एकीकृत पंजीयन व्यवस्था प्रणाली में आवश्यक संशोधन करने हेतु नोडल विभाग (लोक निर्माण विभाग) को अधिकृत किया जाता है ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक निर्माण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत कार्य विभागों/उपक्रमों में ठेकेदारों के 'द' श्रेणी में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

पंजीयन शुल्क रूपये .....
मनी रसीद क्रमांक .....
फर्म/ठेकेदार श्री/श्रीमती .....
..... को आवेदन पत्र जारी किया गया ।

कार्यपालन अभियंता
..... संभाग
.....

1. आवेदक का नाम :– .....
2. पिता/पति का नाम :– .....
3. निवास का पूर्ण पता :– .....
4. व्यैक्तिक विवरण :–

दूरभाष क्रमांक एसटीडी कोड सहित	मोबाईल नंबर

पेन नंबर	टिन नंबर

फैक्स नंबर	ई–मेल का पता

5. कार्य का प्रकार जिसके लिये पंजीयन आवेदित है । (टिक करें)

सिविल	विद्युत	सिविल एवं विद्युत

6. आवेदक की हैसियत (टिक करें)

स्वयं	भागीदारी फर्म	कंपनी

7. प्रस्तुत एफडीआर का विवरण (जमानत राशि)

क्रमांक	राशि	बैंक का नाम	स्थान

सहपत्रों की सूची –

(1) पेन नंबर (प्रमाणित प्रति के साथ)
(2) टिन नंबर (प्रमाणित प्रति के साथ)
(3) विद्युत कार्य हेतु लायसेंस (प्रमाणित प्रति के साथ)
(4) निर्धारित शपथ–पत्र (मूल)
(5) एफ.डी.आर. (सुरक्षा राशि पंजीयन अनुमोदन के पश्चात)
(6) दो फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर जो बैंक अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो ।
(7) फर्म के पंजीयन एवं पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रति ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूर्व से अन्य विभागों में पंजीकृत फर्म/ठेकेदारों के व्यवस्थापन वर्गोन्नति/नवीनीकरण एवं 'अ, ब, स' श्रेणी में नवीन पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

पंजीयन शुल्क रुपये .....
मनी रसीद क्रमांक.....
फर्म/ठेकेदार श्री/श्रीमती.....
.....को आवेदन पत्र जारी किया गया ।

कार्यपालन अभियंता
.....संभाग
.....

1. आवेदक का नाम :– .....
2. पिता/पति का नाम :– .....
3. निवास का पूर्ण पता :– .....
4. व्यैक्तिक विवरण :– .....

दूरभाष क्रमांक एसटीडी कोड सहित	मोबाइल नंबर

पेन नंबर	टिन नंबर

फैक्स नंबर	ई–मेल का पता

5. कार्य का प्रकार जिसके लिये पंजीयन आवेदित है (टिक करें)

सिविल	विद्युत	सिविल एवं विद्युत

6. आवेदक की हैसियत (टिक करें)

स्वयं	भागीदारी फर्म	कंपनी

7. आवेदन किस हेतु है(टिक करें)

व्यवस्थापन	नवीनीकरण	श्रेणी उन्नयन

8. वर्तमान पंजीयन का विवरण :–

विभाग का नाम	सिविल कार्य या विद्युत कार्य	पंजीयन श्रेणी	वर्तमान में पंजीकृत श्रेणी में अधिकतम कार्य लेने की वित्तीय सीमा

9. आवेदित पंजीयन की श्रेणी(टिक करें)

स–श्रेणी	ब श्रेणी	अ–श्रेणी

10. प्रस्तुत एफडीआर का विवरण(सुरक्षा राशि)

क्रमांक	राशि	बैंक का नाम	स्थान

11. आवेदक अथवा उनके भागीदार या शेयर होल्डर कभी ब्लैक लिस्ट किये गये हो या उनका पंजीयन निरस्त/निलंबित/डाउनग्रेड किया गया हो तो उसका विवरण :– (जानकारी पृथक से संलग्न की जावें)

12. आवेदक के विरुद्ध कार्य अपूर्ण छोड़ने पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही :– (जानकारी पृथक से संलग्न की जावें)

13. शासन को दी जाने वाली देनदारियों का विवरण :– (जानकारी पृथक से संलग्न की जावें)
   (1) विभाग का नाम :–
   (2) संभाग का नाम :–
   (3) देनदारी की राशि :–

14. निर्माण विभागों में चल रहे न्यायालयीन विवादों का विवरण :–
(1) विभागीय आर्बिटेशन में .....प्रकरण
(2) ट्रिब्यूनल में.....प्रकरण
(3) जिला न्यायालय में.....प्रकरण
(4) उच्च न्यायालय में .....प्रकरण

15. सहपत्रों की सूची
(1) पेन नंबर(प्रमाणित प्रति के साथ)
(2) टिन नंबर(प्रमाणित प्रति के साथ)
(3) विद्युत कार्य हेतु लायसेंस(प्रमाणित प्रति के साथ)
(4) निर्धारित शपथ–पत्र (मूल)
(5) एफडीआर (सुरक्षा राशि पंजीयन अनुमोदन के पश्चात्)
(6) दो फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर जो बैंक अधिकारी से अभिप्रमाणित
(7) पूर्व पंजीयन आदेश की सत्यापित प्रति
(8) कार्यानुभव प्रमाण पत्र(एनेक्सर–1)
(9) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विशिष्ट प्रकृति के कार्यों के लिये आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र (एनेक्सर – 2)
(10) वर्तमान में चल रहे कार्यों की जानकारी (एनेक्सर–3)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

शपथ–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु. ..... आत्मज श्री .....

आयु ..... वर्ष, निवासी ....., जिला ..... राज्य ..... शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :–

(1) मैं आवेदनकर्ता ठेकेदार/फर्म/कंपनी की ओर से ठेकेदारी में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने, जानकारी अथवा अभिलेख प्रस्तुत करने, शर्तों को मान्य करने एवं पंजीकरण प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा पूच्छा की गई सूचनाओं का उत्तर प्रस्तुत करने उन्हें सत्यापित करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हूँ ।

(2) यह कि मेरे/हमारे द्वारा "केन्द्रीयकृत पंजीकरण प्रणाली, ई–पंजीयन" छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पंजीयन हेतु ऑनलाईन भरी गई जानकारी एवं संलग्न अभिलेखों को परीक्षण कर सत्यापन किया गया है तथा इस प्रकार भरी गई जानकारी एवं प्रस्तुत अभिलेख, प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज सही और सत्य है ।

(3) यह कि मेरे/हमारे द्वारा ठेकेदार/फर्म/कंपनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करने अथवा करवाने के लिए विभाग अधिकृत होगा तथा इस कार्य में हमारे/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा विभाग को वांछित सहयोग प्रदान किया जाएगा ।

(4) यह कि मेरे/हमारे द्वारा ठेकेदार/फर्म/कंपनी की ओर से प्रस्तुत जानकारी/अभिलेख गलत पाये जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही मुझे/हमें स्वीकार्य होगी ।

(5) यह कि मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा स्वरूप/पार्टनर में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में 15 कार्य दिवस में इस तथ्य की सूचना पंजीकरण प्राधिकारी अथवा इस कार्य हेतु उसके द्वारा निर्धारित अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

(6) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि ठेकेदार/फर्म/कंपनी के "एकीकृत पंजीयन प्रणाली, ई–पंजीयन" के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंजीयन हेतु पार्टनर/डायेक्टर का अनुभव उसके फर्म में भागीदारी के प्रतिशत/कंपनी के शेयर के अनुपात में ही गणना कर पंजीयन हेतु अनुभव के रूप में मान्य की जावेगी ।

(7) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि ठेकेदार/फर्म/कंपनी के "एकीकृत पंजीयन प्रणाली, ई–पंजीयन" के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में निविदाओं में कार्यभार की गणना में निविदाकार के कार्यभार के साथ–साथ अन्य पंजीयनों में भागीदारी के प्रतिशत के अनुसार उसके पार्टनर/डायरेक्टर के कार्यभार को शामिल कर किया जावेगा ।

(8) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि "एकीकृत पंजीयन प्रणाली, ई–पंजीयन" के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंजीयन के आधार पर किसी निविदा कार्यवाही में भाग लिए जाने अथवा इस आधार पर अनुबंध में ठेकेदार/फर्म/कंपनी अथवा उनके द्वारा अधिकृत द्वारा

नियमों के प्रतिकूल की गई कार्यवाही के लिए ठेकेदार/फर्म/कंपनी जिम्मेदार होगी तथा छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी ।

(9) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि "एकीकृत पंजीयन प्रणाली, ई–पंजीयन" के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंजीयन के आधार पर किसी निविदा कार्यवाही में भाग लिए जाने अथवा इस आधार पर किए गए अनुबंध में नियमानुसार वांछित कार्य नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा ठेकेदार/फर्म/कंपनी के विरूद्ध अनुबंध में की गई कार्यवाही के आधार पर पंजीयन अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नियमों/निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी ।

(10) यह कि, ठेकेदार/फर्म/कंपनी के द्वारा किसी भी कार्य विभाग में कार्य अपूर्ण नहीं छोड़ा गया है ।

(11) यह कि, ठेकेदार/फर्म/कंपनी के पंजीयन को किसी भी कार्य विभाग द्वारा ब्लेक लिस्ट/निचली श्रेणी में अवनत/निलंबन/निरस्तीकरण नहीं हुआ है ।

(12) यह कि, ठेकेदार/फर्म/कंपनी के विरूद्ध शासकीय देयता शेष नहीं है ।

(13) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा अपने पंजीयन की श्रेणी में परिवर्तन के साथ पुराना पंजीयन स्वतः निष्प्रभावी/समाप्त हो जावेगा ।

(14) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि पंजीकरण के समय तथ्यों को छुपाया जाने/असत्य पाये जाने पर ठेकेदार/फर्म/कंपनी का पंजीकरण समाप्त कर दिया जावेगा ।

(15) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि पंजीयन के नवीनीकरण के लिए आवेदन वर्तमान पंजीयन की अवधि समाप्त होने के 90 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

(16) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसी विभाग/निगम/मंडल में ठेकेदार/फर्म/कंपनी के पंजीयन के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को है ।

(17) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसी विभाग/निगम/मंडल के विभागाध्यक्ष द्वारा कंडिका 13 के अनुसार कार्यवाही किए जाने पर यह तत्काल प्रभावशील होगा एवं इसे ऑनलाईन प्रभावशील करने की मात्र औपचारिक कार्यवाही पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा की जावेगी ।

(18) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसी विभाग/निगम/मंडल के विभागाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त कंडिका 13 अनुसार कार्यवाही कर आदेश किए जाने पर संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी सूचना 3 दिनों के अंदर पंजीकरण प्राधिकारी को संवाहित की जानी है एवं यह भी कि, ठेकेदार/फर्म/कंपनी इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अंदर पंजीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में "एकीकृत

पंजीयन प्रणाली के नियम 7.3 सहपठित 2 (3) अनुसार गठित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

(19) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि ठेकेदार/फर्म/कंपनी "एकीकृत पंजीयन प्रणाली, ई–पंजीयन" छत्तीसगढ़ के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकारी को अपील के समय सीमा में निपटारे में वांछित सहयोग करेगा ।

(20) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि ठेकेदार/फर्म/कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के स्वरूप से भलीभॉति अवगत हैं ।

(21) यह कि, पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रस्तुत की जाने वाली उपरोक्त जानकारी/अभिलेखों को मेरे द्वारा ठेकेदार/फर्म के सभी भागीदारों/कंपनी के सभी संचालकों से तथ्यों की पुष्टि कराकर ही प्रस्तुत की गई है ।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं ..... आत्मज ..... शपथपूर्वक सत्यापन करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार शपथ पत्र की कंडिका 1 से 21 में उल्लेखित तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास पर आधारित है एवं सत्य है एवं इसका सत्यापन आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा किया गया ।

शपथकर्ता

टीप :– नोटरीकृत शपथ पत्र न्यूनतम 5 रूपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत किया जावे।

Annexure-I

Works completed as prime Contractor (in the same name and style) on Civil Engineering Construction Works over the last five years.

Sno	Project Name	Name of Employer	Description of work	Value of contract	Contract No.	Date of Issue of Work Order	Stipulated Date of Completion	Actual Date of Completion	Year wise value of work com. as per certificate in lakhs of Rs						Remarks explaining reasons for delay if any and amount of LD imposed deduction made due to delay
									2008-09	2009-10	[illegible]	2011-12	2012-13	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Total														

Note: Attach certified copy of work order and completion certificate issued by Engineer-in-charge not below the rank of Executive Engineer of each work clearly mentioning value of work done/paid in each year if completed in more than one financial year. Complete address and phone/fax number with STD code must be indicated in each certificate so that verification can be made.